परियोजना का नाम: उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VII के अंतर्गत मुरादाबाद बाईपास सहित राष्ट्रीय राजमार्ग-734 के मुरादाबाद-काशीपुर खंड का सुधार और उन्नयन। पैकेज-II: मुरादाबाद-काशीपुर रोड (लंबाई=39.750 किमी) बिजना में Ch. 0+00 (मौजूदा किमी. 389+00) से शुरू होता है और ढांडी नदी के पास उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड बॉर्डर पर Ch. 39+750 पर समाप्त होता है ।

प्रस्ताव संख्या- FP/UP/ROAD/150633/2021

प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि का स्वामित्व / मूल्य प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VII के अंतर्गत मुरादाबाद बाईपास सहित राष्ट्रीय राजमार्ग-734 के मुरादाबाद-काशीपुर खंड का सुधार और उन्नयन का कार्य किया जाना है । **पैकेज-II:** मुरादाबाद .काशीपुर सेक्शन जो की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत आता है जिसकी लम्बाई 39.750 किमी है एवं Ch. 0+00 (मौजूदा किमी. 389+00) से शुरू होता है और ढांडी नदी के पास उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड बॉर्डर पर Ch. 39+750 पर समाप्त होता है, जिसको विकसित एवं चौड़ीकरण करने की योजना है, इस परियोजना के अंतर्गत 63.5796 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 11277 वृक्षों एवं 32859 पौधों (कुल बाधक वृक्ष एवं पौधे - 44136) के पातन की अनुमति हेतु आवेदित संरक्षित वनभूमि पर स्वामित्व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का है तथा वन सम्पदा की क्षतिपूर्ती हेतु वांछित वनीकरण की योजना तथा वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय का भार वहन करने एवं केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर भूमि के नेट प्रेजेंट वैल्यू (NPV) का भुगतान, यदि आवश्यक होगा तो यह शर्ते मान्य है तथा उनका अनुपालन किया जाएगा । अपेक्षित संरक्षित क्षेत्र / भूमि की मांग न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।

परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

सूरज
(प्रभागीय निदेशक)
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मुरादाबाद

क्षेत्रीय वन अधिकारी
ठाकुरद्वारा

Scanned with CamScanner